


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर
क्रमांक: प.४ (ड)(का.गा.) / डीएलबी / 25/८५५५५ दिनांक: २१०७/२५

आदेश

विभागीय आदेश द्वारा श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 को नगर पालिका अंता में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस से अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1)(iv)(क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामेश्वर खण्डेलवाल पार्षद वार्ड सं. 18 को नगर पालिका अंता में अध्यक्ष पद का कार्यभार 60 दिवस रो अनाधिक कालावधि अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये दिया जाता है।
यह आदेश सक्षम रूप से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

दिनांक: २१०७/२५

क्रमांक: प.४ (ड)(का.गा.) / डीएलबी / 25/८५५५-६६

प्रतिलिपि रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. राज्यागारीय आयुक्त, कोटा / जिला कलक्टर बांरा।
5. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज० राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज० जयपुर।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. उपर्युक्त अधिकारी, कोटा।
9. अधिशमाषी अधिकारी नगरपालिका अंता (कोटा)।
10. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी